राजस्थान कोचिंग केंद्र (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने और उन्हें ऐसे ढाँचे में संचालित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो छात्रों की भलाई और सफलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

इसका उद्देश्य राजस्थान में कोचिंग केंद्र उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करना है, ताकि छात्रों को अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों की तैयारी के लिए एक अधिक स्वस्थ और सहायक वातावरण मिल सके।

यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है

88

छात्र आत्महत्याएँ
पिछले चार वर्षों में कोचिंग केंद्रों से जुड़े कई छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से केवल कोटा में 70 और सीकर में 14 मामले दर्ज किए गए।

50L

छात्र नामांकन
वर्तमान में लगभग 50 लाख छात्र राजस्थान के विभिन्न कोचिंग केंद्रों में नामांकित हैं।

₹60,000Cr

उद्योग का आकार
कोचिंग उद्योग का अनुमानित आकार लगभग ₹60,000 करोड़ है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10 लाख लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं।

राजनीतिक नेतृत्व की चिंता

विधेयक प्रस्तुत करते समय उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने इन चिंताजनक आँकड़ों को साझा किया और स्पष्ट किया कि कोचिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए तत्काल विनियमन अत्यावश्यक है।

हस्तक्षेप का इतिहास

राजस्थान हाई कोर्ट का हस्तक्षेप

लगभग 10 वर्ष पहले, जब 2015 में कोचिंग केंद्रों में 19 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएँ सामने आईं, तब राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया।

4 जनवरी 2016 को अदालत ने कहा: *"पिछले पाँच वर्षों में लगभग 78 छात्रों ने आत्महत्या की है... लेकिन अब तक किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।"*

वर्षों में उठाए गए कदम

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) से छात्र तनाव पर अध्ययन कराया गया।
- कोचिंग केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- विधेयक तैयार करने के लिए लगातार दबाव डाला गया।

JOIN NOW!!!

Ojaank

EDITION 2025

GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
TEST SERIES WITH RFR

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

PRESENTED BY OJAANK SIR

विधेयक के मुख्य प्रावधान

नियामक प्राधिकरण

- राजस्थान कोचिंग केंद्र प्राधिकरण की स्थापना होगी।
- इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रतिनिधि, मनोचिकित्सक, कोचिंग संस्थानों और अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

जिला समितियाँ

- प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अध्यक्षता में समिति बनेगी।
- यह समिति पंजीकरण, अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण की जिम्मेदारी निभाएगी।

पंजीकरण आवश्यकताएँ

- कोचिंग केंद्रों को अधिनियम लागू होने के तीन महीने के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

उल्लंघन पर दंड

- पहली बार उल्लंघन पर ₹50,000 का जुर्माना।
- दूसरी बार उल्लंघन पर ₹2 लाख का जुर्माना।
- बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

कवरेज सीमा

- यह विधेयक उन कोचिंग केंद्रों पर लागू होगा, जिनमें 100 से अधिक छात्र हों।
- पहले यह सीमा 50 छात्रों की तय की गई थी, जिसे अब संशोधित किया गया है।

कोचिंग केंद्रों के लिए पात्रता शर्तें

भौतिक अवसंरचना

- प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा।

योग्य संकाय (Faculty)

- कोचिंग केंद्रों में ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाएँगे जिनके पास कम से कम स्नातक डिग्री हो।

नैतिक विपणन (Ethical Marketing)

- कोचिंग केंद्र भ्रामक वादे या रैंक/अच्छे अंक की गारंटी नहीं देंगे।

छात्र कल्याण

- काउंसलिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- छात्रों और शिक्षकों के लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा।
- कोचिंग की अवधि प्रतिदिन अधिकतम पाँच घंटे से अधिक नहीं होगी।

राजस्थान पर आर्थिक प्रभाव

महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान

कोचिंग उद्योग का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है, विशेष रूप से कोटा और सीकर जैसे शहरों में।

सीकर पर निर्भरता

सीकर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारेक के अनुसार, जिले की लगभग 30-35% अर्थव्यवस्था कोचिंग केंद्रों पर निर्भर है।

रोज़गार और सहयोग

यह उद्योग पूरे राज्य में लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है।

Kota: India's "coaching capital"

LIMITED OFFER
Ojaank
UPSC AFTER 10TH BATCH
LIVE ONLINE CLASSES
Course Duration 4Year
Bilingual
4 Year Validity
View on App
Unlimited Views
PDF Notes
Discover the Best Time to Study and Boost Your Productivity!
8285894079
Call: 8750711100/22/33/44/55

विधेयक की आलोचनाएँ

केंद्रीय दिशा-निर्देशों से विचलन
यह जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित *"Guidelines for Regulation of Coaching Centres"* से अलग है।

आत्महत्या रोकथाम में कमी
यह आत्महत्या की समस्या को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता और न ही मनोवैज्ञानिक या करियर काउंसलिंग को अनिवार्य बनाता है।

नौकरशाही संबंधी चिंताएँ
अधिकारी-प्रधान ढाँचे की वजह से इसमें रेड-टेप और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलने की आशंका है।

आर्थिक भय
आशंका है कि यह विधेयक छोटे कोचिंग केंद्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और कई कोचिंग संस्थानों को राज्य से बाहर जाने पर मजबूर करेगा।

विपक्षी विधायकों की आलोचना
विपक्षी विधायकों ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह छात्रों की बजाय कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया प्रतीत होता है।

हालिया घटनाक्रम और सरकार की प्रतिक्रिया

चयन समिति की समीक्षा

विपक्ष और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के विरोध के बीच, विधेयक को विधानसभा की चयन समिति के पास भेजा गया।
समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 सितंबर को प्रस्तुत की और केवल दो बदलाव किए:

- जुर्माने की राशि में कमी
- कानून लागू होने की सीमा को बढ़ाकर 50 से 100 छात्रों वाले केंद्रों तक सीमित करना

सरकार का बचाव

मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य *"संतुलन और न्याय सुनिश्चित करना"* है और कोचिंग केंद्रों पर *"अनावश्यक बोझ"* नहीं डाला गया है।

अंतिम पारित होना
लगातार विपक्षी आलोचनाओं के बावजूद, यह विधेयक 3 सितंबर, 2025 को पारित हो गया।

आगे की राह
इस विधेयक के क्रियान्वयन पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि राजस्थान अब अपने विशाल कोचिंग उद्योग को नियंत्रित करने और साथ ही छात्रों की भलाई संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है।

Ojaank

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें

IAS with Ojaankk Sir

Ojaankk_Sir

IAS with Ojaankk Sir

8285894079

8285894079

www.ojaank.com/